संख्या-33/2024/ 1018/002-53-2099-925-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण-वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ., कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर , 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना, एस0सी0पी0 अनुदान संख्या-83) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-399/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ीकरण-एस0सी0पी0(291)/2024-25 दिनांक 09 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना, एस0सी0पी0 अनुदान संख्या-83) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रू0 2695.16 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 1347.58 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 1347.58 लाख (रूपये तेरह करोड़ सैंतालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाता/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(6) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय स्वीकृति के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित धनराशियों की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथा समय अवगत कराते हुए कार्योतर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में व्यय किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(10) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(11) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग व्यवसाय को सुदृढ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/उपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकृत धनराशि अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत किश्तों की धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं गत वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगित कुल धनराशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषण के पूर्व शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(14) एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे-बही खाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(15) वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा एवं योजनावार/जनपदवार एवं जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,47,58,000 (रुपये तेरह करोड़ सैंतालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2404007890600 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनजीर्वित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-33/**2024/ 1018/002-53-2099-925-2019**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(ऑडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन,15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, पार्क रोड, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को, समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 के संदर्भ में प्रेषित।

13- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

14-सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।